



पत्रिका: 300 / आयुक्त उत्तराखण्ड / फार्म-अनु0/2009-10/कन्द्रीय फार्म-सी//खाया/चोरी/नष्ट हुए/पं0सं0-23(iv)(द०दून
कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 380
(फार्म-अनुभाग) 30-3-10
देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति

कन्द्रीय बिक्रीकर(उत्तराखण्ड)नियमावली-2006 के नियम-8 के उपनियम-13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर,उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ ।

| क्र० सं० | व्यापारी का नाम व पता | खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या | खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक |
|----------|--|--------------------------------------|---|
| 1. | सर्वश्री एन्डयूरेन्स टेक्नोलॉजी प्रा० लि०, पन्तनगर । | फार्म-सी (संख्या-01) | U.K.VAT-C2007-313141 |

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड ।

पू०पं०संख्या 5401 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. कमिश्नर बिक्रीकर/वाणिज्य कर, आन्ध्र प्रदेश-हैदराबाद/तमिलनाडु-चेन्नई/केरला-तिरुवनन्तपुरम/कर्नाटका-बैंगलूर/महाराष्ट्र-मुम्बई/गुजरात-अहमदाबाद/राजस्थान-जैपुर/झारखण्ड-राँची/छत्तीसगढ़-रायपुर/ पश्चिमोत्तरांचल-कोलकाता/बिहार-पटना/उत्तरप्रदेश-लखनऊ/उड़ीसा-कटक/ पंजाब-पटियाला/हरियाणा-चंडीगढ़/ हिमान्चलप्रदेश-शिमला/आसाम-गोहाटी/सिक्किम-गंगटोक/मणिपुर-इम्फाल/नागालैंड-दीमापुर/ अरुणान्चलप्रदेश-इटानगर/त्रिपुरा-अगरतला/मिजोरम-एजवाल/मेघालय-सिलोंग/गोवा-पनजी/न्युदिल्ली/पॉण्डिचेरी/मध्य प्रदेश-इन्दौर/बिहार-पटना/जम्मु-काश्मीर-श्रीनगर ।
2. उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ उत्तराखण्ड, 405, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायू जोन रुड़पुर ।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा./प्रवर्तन) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमायू जोन रुड़पुर ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में सूचित करें ।

आयुक्त कर 16/2/2010
उत्तराखण्ड, देहरादून ।